


312

420

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

RS255-II/15



R-201-

श्रीकान्त गर्ग उर्फ फूलचन्द्र गर्ग तनय श्री धर्मदास गर्ग उम्र 42 वर्ष निवासी नारायणपुर तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. निगराकार

बनाम

सुदर्शन प्रसाद गर्ग तनय श्री रामसुजान गर्ग उम्र 80 वर्ष निवासी नारायणपुर तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.

निगरानीबिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.द्वारा पारित आदेश रा.प्र.क्र.-03/पुर्नबिलोकन/15-16 आदेश दिनांक 28.11.2015

श्री कान्त गर्ग उर्फ फूलचन्द्र गर्ग तनय श्री धर्मदास गर्ग उम्र 42 वर्ष निवासी नारायणपुर तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. निगराकार

एड के  
सिडर  
सर्टिफिकेट रीवर

मान्यवर,

प्रार्थी/निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:-

निगरानी के तथ्य

01. यह कि गैरनिगराकार ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील रघुराजनगर वृत्त रैगोंव जिला सतना म.प्र. के समक्ष आ.नं 83अ/1 रकवा 1.30ए. मौजा नारायणपुर तह. रघुराजनगर म.प्र. मे स्थित आराजी के नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन पत्र रा.प्र.क्र.-59अ12/90-91 आदेश दिनांक 04.05.94 के आधार पर प्रस्तुत किया जिसमें योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार तहसील रघुराजनगर वृत्त रैगोंव जिला सतना म.प्र. द्वारा राजस्व निरीक्षक से मौके की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन तलब किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 20.02.11 के बिन्दु क्र.-4

M

श्रीकान्त गर्ग



1/2/11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0/5255-II/2015

जिला-सतना

श्रीकांत गर्ग उर्फ फूलचन्द गर्ग/सुदर्शन प्रसाद गर्ग

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कामता प्रसाद गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 103/पुर्नविलोकन/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	<p style="text-align: right;">  </p>